



फाइल सं: 1-1/हि.प्र.के.वि./शै./2010/खण्ड-XII/1534-4577
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(Accredited by NAAC with A+ grade with CGPA of 3.42)
(शैक्षणिक शाखा / Academic Branch)



धर्मशाला – 176215

दिनांक: 05 मार्च, 2024

कार्यालय आदेश

अधिसूचना संख्या 1-1/हि.प्र.के.वि./शै./2010/खंड-VIII/6352-62 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश से संबंधित लिए जाने वाले शुल्क को बढ़ाने, घटाने एवं निर्धारित करने हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है:

i.	अधिष्ठाता (अकादमिक), हि.प्र.के.वि.	:	अध्यक्ष
ii.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हि.प्र.के.वि.	:	सदस्य
iii.	कुलपति के सचिव, हि.प्र.के.वि.	:	सदस्य
iv.	कुलसचिव या उनके नामिती	:	सदस्य
v.	वित्त अधिकारी या उनके नामिती	:	सदस्य
vi.	डॉ. चमन लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, हि.प्र.के.वि.	:	सदस्य

उपरोक्त वर्णित समिति विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्तुतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

(प्रो. सुमन शर्मा)
कुलसचिव

दिनांक: 05 मार्च, 2024

पृष्ठांकन: समसंख्या।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अधिष्ठाता (अकादमिक), हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
2. समस्त परिसरों के सभी परिसर निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3. विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि.प्र.के.वि.।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
6. वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनालिस्ट-कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने से संबंधित।
9. आन्तरिक लेखा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
11. उपरोक्त वर्णित समस्त समिति सदस्य।
12. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, धर्मशाला-कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव